तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

राजस्व वाद संख्या 58/2022

जगसीराम उर्फ जगदीश बनाम भंवरलाल वगैरा

निर्णय अंतर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता

31.07.23

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता पर उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की इस्तदुआ चाही है वो चलने योग्य नहीं हैं वादी ने अपने वादपत्र में यह कथन करते हुए दावा प्रस्तुत किया है कि ग्राम रानीवाड़ा कलां के पुराने खसरा नंबर 590 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा के आधे हिस्से के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 30 के पूर्वज दरजा, वेला, अजबा पिसरान दाना ने प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के पिता गुलाबा पुत्र सागर मोची को दिनांक 02.07.2023 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के पक्ष में किया है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध बताकर खातेदार घोषणा कब्जा दिलाने की इस्तदुआ की है उपरोक्त वाद उक्त बेचान दिनांक 02.07.2023 के निष्पादन के 44 वर्ष से अधिक समय बाद पेश किया है जबकि उक्त बेचान के विरूद्ध केवल बेचानकर्ता या उसके विधिक वारिस बारह वर्ष की समयावधि के भीतर दावा ला सकते थे, उक्त अवधि समाप्त होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) 4 के प्रभाव से बेचानकर्ता या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को कब्जे का दावा लाने का अधिकार समाप्त हो गया है जिस कारण वादी का कब्जा प्राप्ति, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा दावा काबिल निरस्तनीय है तथा प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने के योग्य हैं।

वादी ने अपने वाद पत्र में जिस बेचाननामे का उल्लेख कर वाद प्रस्तुत किया है उक्त बेचान की गयी भूमि पर से बेचानकर्ता व खरीददार के खातेदारी हक समाप्त कर उनको बेदखल कब्जा राज्य पक्ष में घोषित किये जाने का दावा राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रानीवाड़ा ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान सहायक कलक्टर भीनमाल के न्यायालय में दिनांक 23.02.1976 को प्रस्तुत किया जिसके निर्णय दिनांक 20.06.1976 द्वारा भूमि खसरा नंबर 590 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा को राज्य सरकार में निहित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध वादी या उसके पूर्वज ने किसी प्रकार की अपील निगरानी प्रस्तुत कर चुनोति नहीं दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उक्त आदेश के विरूद्ध पुर्नरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 17.08.1978 द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी के पिता स्व. गुलाबा को खरीदे गये रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया। जो निर्णय आज भी प्रभाव में है जिसके प्रभाव में रहते वादी का वर्तमान वाद विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल निरस्तनीय है तथा प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का उपरोक्त दावा उसके कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाने से एवं वाद विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र वादी के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 590 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा का 1/3 हिस्से का हस्तानान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

धारा 42 (बी) आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों के विपरीत होने से अनुसूचित जनजाति भील खातेदार से अनुसूचित जाति गुलाबा मोची के नाम हस्तानान्तरण हो ही नहीं सकता जो तत्कालीन काल विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें विधि द्वारा वर्जित प्रावधानों के तहत कही भी धोखाधडी से किया गया हस्तानान्तरण में समय सीमा धारा 88 आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों मेंलागू नहीं होती हैं। तथा 12 वर्ष की समयावधि वाले प्रावधान धारा 42(बी) आर. टी. एक्ट. के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से इस प्रकरण से लागू नहीं होते है।

प्रकरण में किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बगैर यदि सरकार द्वारा धारा 175 आर.टी.एक्ट. की कार्यवाही करके दिनांक 23.02.1976 को प्रस्तुत कर 20/06/1976 को खसरा नंबर 590 रकबा 11 विघा 15 विस्वा राज्य सरकार में निहित किया गया हो तथा उसकी जानकारी वादी को थी ही नहीं क्योंकि उस वक्त उसका जन्म तक नहीं हुआ था। तथा प्रतिवादी भंवरलाल मोची के पिता गुलावा मोची द्वारा विधि द्वारा वर्जित ऐसे निर्णय का वाले-वाले रिविजन कर दिनांक 17.08.1978 को वापस गलत एवं मिथ्या कथनों पर अनुसूचित जनजाति भील जाति की कृषि भूमि को मोची जाति के अनुसूचित जाति को खातेदारी विधि द्वारा वर्जित होते हुए दी गई है, तो ऐसे कोई भी न्यायालय के निर्णय से भी वह धारा 42 (बी)आर. टी. एक्ट. के प्रावधान को बाधित करके खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं ऐसा उक्त प्रावधान में आज्ञापक रूप से उल्लेखित हैं। सो उक्त प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रतिवादी भंवरलाल मोची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र धारा 42(बी) आर. टी. एक्ट. के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्य प्रतिवादीगण के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि वादी ने वाद पत्र पेश किया हैं, वह किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। आदेश 7 नियम 11सीपीसी में जो आवश्यक विशिष्टियों का वर्णन किया गया हैं, उक्त आधार पर यह वाद पत्र किसी भी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज योग्य नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में भील जाति एस.टी.वर्ग के रही हैं तथा एस.टी. वर्ग से यह जमीन एस.टी. वर्ग मोची जाति में अन्तरित/ट्रांसफर कर दी गई हैं, उक्त आराजी के लिए स्पेशल कानूनी धारा 42 'ख' आर.टी.एक्ट. के प्रावधान लागू होते है। उक्त स्पेशल कानून लागू होने के पूर्व के उपबंधों पर भी लागू हुआ हैं। इसलिए यह विशेष कानून, राजस्थान काश्तकारी कानून के लागू होने के बाद से सभी वादकारणों पर लागू होने से इस विशेष कानून पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1)4 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

वादी को कभी भी वेदखल नहीं किया गया तथा ना ही वादी के हक समाप्त किये गये। जबकि यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 42 'ख' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन होने की अवस्था में हल्का तहसीलदारजी [illegible] का एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे प्रकरण में हल्का तहसीलदारजी का जवाब लिया जाना आवश्यक प्रक्रिया हैं तथा माननीय अदालत द्वारा हल्का तहसीलदारजी को निर्देश दिया जाना भी एक आवश्यक प्रक्रिया हैं कि उक्त प्रकरण की हल्का तहसीलदारजी द्वारा रेफरेंस पेश किया जावे। उक्त कूननी बिन्दूओं के आधार पर यह वाद पत्र निरस्त योग्य नहीं है, सो प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली–भांति अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी मौजा रानीवाड़ा कलां के पुराने खसरा नंबर 590 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा में दरजा, वेला पिसरान दाना पौमा वल्द अजबा कौम भील द्वारा अपना आधा हिस्सा गुलाबा वल्द सागरजी कौम मौची को दिनांक 02.07.1973 को बैचान कर दिया था। बाद में तहसीलदार भीनमाल द्वारा अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल में दर्ज करवाया गया था जो प्रकरण संख्या 10/76 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 20.06.1976 को निर्णित हुआ था। जिसमें उक्त विवादित भूमि को खसरा नंबर 590 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा राज्य सरकार को निहित की जाकर तहसीलदार भीनमाल को भूमि कब्जा प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया था।

उसके पश्चात न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक सांचौर द्वारा उक्त विवादित आराजी पर अंतर्गत 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 10/76 में निर्णय दिनांक 20.06.1976 में पेश दरख्वास्त के बाद पून निर्णय दिनांक 17.08.1978 को पारित किया था। जिसमें गैर सायल 2. (गलबा पुत्र सागर) से बेचान की राशि रूपये 3000 राज्य सरकार में जमा कराने पर गैर सायल नंबर 2 गलबा पुत्र सागर कौम मोची को उक्त खसरा नंबर की खातेदारी घोषित की गई है।

इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17.08.1978 आज भी प्रभावी है। जिसके प्रभाव में रहते वादी द्वारा पेश वाद आदेश 7 नियम 11 (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी का वाद न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रानीवाड़ा